

अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं०- 332 सन् 2010

बलराम प्रसाद.....वादी

बनाम

अजीत कुमार मंडल व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक:-

09.08.2019

वादी की पैरवी है, प्रतिवादी की पैरवी नहीं है। अभिलेख को निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 25.01.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की तरफ से दिनांक 25.01.2019 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें वादी का कहना है कि वादग्रस्त भूमि वादी की खरीदगी भूमि है एवं उन्होंने यह भूमि बयनामा दस्तावेज दिनांक 21.02.2004 में प्रतिवादी सं० 7,8 एवं 9 से लिखवाया था एवं बयनामा की तिथि से ही उक्त जमीन पर वादी का दावा एवं दाखल कब्जा चला आ रहा है एवं प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 ने वाद में उपस्थित होकर अपना ब्यान तहरीरी दाखिल किया है एवं वे असामाजिक तत्वों के सहयोग से वाद भूमि जिसका वर्णन सिडियुल सं० 2 में, खाता सं० 64, खेसरा सं० 169 रकबा 2 कट्ठा 10 धूर की जो मौजा- हिम्मतपुर, थाना- दिघवारा में स्थित है के रूप में दिया गया है तथा प्रतिवादीगण उक्त भूमि के स्वरूप का प्रवर्तित करना चाहते हैं तथा इस हेतु निर्माण सामग्री एकत्रित कर रहे हैं एवं बलपूर्वक उस भूमि पर निर्माण करने को आमादा हैं एवं इस संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 को भूमि के स्वरूप

को परिवर्तन न करने का आग्रह किया गया, किन्तु वे नाजायज रूप से उक्त भूमि पर नींव खोदना प्रारंभ कर दिए हैं। इन्हीं आधारों पर वादी ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वाद भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाए ताकि प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर सके।

उपर्युक्त आवेदन का कारण पृच्छा प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को दाखिल किया गया जिसमें उनका कहना है कि वादी का आवेदन खारिज योग्य है, क्योंकि वादी ने निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादपत्र में कोई न्यायालय शुल्क दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादीगण का आगे कहना है कि तकरारी भूमि खाता सं० 64, सर्वे सं० 169 गुरुमुख शरण साह की पैतृक संपत्ति है जिसे उन्होंने खर्च की हैसियत से तीन किता रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा दिनांक 18.04.1988 को प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में 1 कट्ठा 9 धूर 10 धूरकी जमीन बैनामा कर दिया एवं प्रतिवादी सं० 1 का दखल कब्जा करा दिया एवं इसके पश्चात् प्रतिवादी द्वारा उक्त जमीन के संबंध में दाखिल खारिज करवाकर बिहार सरकार को प्रत्येक साल लगान अदा किया जाता रहा है एवं बिहार सरकार द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में रशिद निर्गत किया जाता है। एवं उक्त भूमि पर एक खपरापोस कोठरी है जिसमें बैनामा के पूर्व से किरायेदार बालेश्वर प्रसाद रहते थे जिसे खाली कराने के लिए प्रतिवादी सं० 1 ने मुन्सिफ 2 छपरा के न्यायालय में इभिव्शन वाद सं० 08 सन् 1994 दाखिल किया जिसमें न्यायालय ने असंघर्ष प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित किया एवं इसके पश्चात् प्रतिवादी सं० 1 की ओर से इजराय वाद सं० 05 सन् 1998 दाखिल किया गया एवं न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा उक्त सर्वे सं० 169 पर दखल कब्जा प्रतिवादी सं० 1 को

दिलवाया गया एवं इस प्रकार से प्रतिवादी सं० 1 का उक्त भूमि पर पूर्ण हक एवं दखल कब्जा है किंतु वादी के विक्रेता दयाल शरण गुप्ता प्रतिवादी द्वारा कारवाये गए बैनामा को शुन्य घोषित कराने के लिए एक हकियत मुकदमा सं० 48/ 2003 सब-जज 1 छपरा के न्यायालय में दाखिल किया गया एवं उसी दौरान एक बिना अधिकार का एवं जाली बैनामा प्रतिवादी के पक्ष में तहरीर कर मुकदमा सं० 48/ 2003 को न्यायालय से वापस ले लिया एवं उस मुकदमा में आदेश पारित होने के 6 साल बाद वर्तमान मुकदमा वादी द्वारा दाखिल किया गया है एवं जब तकरारी जमीन पर वादी ने दखल कब्जा में हस्तक्षेप करना चाहा तो प्रतिवादी द्वारा वादी के खिलाफ धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई शुरू की गई जिसमें धारा 144 को धारा 145 में बदल दिया गया एवं धारा 145 की कार्रवाई के अंतर्गत अनुमंडलीय पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया एवं तकरारी भूमि सर्वे सं० 169 पर प्रतिवादी का कब्जा घोषित किया गया एवं इस आदेश के विरुद्ध वादी द्वारा एक रिविजन जिला जज छपरा के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया एवं उन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी बोनाफायड क्रेता है एवं विवादित भूमि पर उसका पूर्ण दखल कब्जा है। साथ ही प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादीगण के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में है एवं यदि निषेधाज्ञा का आदेश प्रतिवादी के विरुद्ध पारित किया जाता है तो इससे प्रतिवादी को अपूर्णिय क्षति होगी।

साथ ही प्रतिवादी का यह कथन है कि विवादित भूमि पर पूर्व से अवस्थित खपराफोस मकान के जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण उसने उसे तोड़वाकर नये सिरे से बड़ा छतदार कमरा का निर्माण कर लिया है। साथ ही उक्त भूमि पर बिजली पानी का कनेक्शन भी प्रतिवादी

द्वारा प्राप्त कर लिया गया है विवादित भूमि पूर्ण रूप से प्रतिवादी के कब्जे में है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा कुछ साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के पूर्ण अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि पर दावा बिक्री पत्र के आधार पर किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि विवादित भूमि उसके द्वारा पूर्व में कय की गई थी और उसने उस भूमि पर स्थित किरायेदार को हटाने के लिए एक निष्कासन वाद दाखिल किया था जिसमें न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया एवं किरायेदार को हटाकर उस भूमि पर प्रतिवादी को दखल कब्जा दिलवा दिया साथ ही धारा 145 के अंतर्गत हुई कार्यवाई के भी निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में दाखिल किया गया एवं रिविजनल न्यायालय द्वारा भी वादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

उपर्युक्त बातों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वाद वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता प्रतीत नहीं होता है साथ ही प्रतिवादी का यह कहना है कि उक्त भूमि पर उसी का दखल कब्जा है। अतः सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में नहीं है एवं यह स्पष्ट है कि यदि निषेधाज्ञा का आदेश वादी के पक्ष में पारित नहीं किया जाता है तो वादी को कोई अपूर्णिय क्षति नहीं होगी। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर वादी का आवेदन खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक- 07.09.2019

सब जज
सोनपुर सारण।